

राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्न- तटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।
3. राज्यक्षेत्रीय सागरखण्डों पर प्रभुता और उनकी सीमाएं।
4. विदेशी पोतों द्वारा राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों का उपयोग।
5. भारत का स्पर्शी क्षेत्र।
6. महाद्वीपीय मग्नतटभूमि।
7. अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
8. पारम्परिक सागर-खंड।
9. भारत और ऐसे विदेशी राज्यों के बीच सामुद्रिक सीमाएं जिनके समुद्रतट भारत के समुद्र तटों के समुख या पार्श्वस्थ हैं।
10. चाटों का प्रकाशन।
11. अपराध।
12. कम्पनियों द्वारा अपराध।
13. विचारण का स्थान।
14. अभियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. कठिनाइयों का दूर किया जाना।

राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्न- तटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 80)

[1 जून, 1980 को यथाविद्यमान]

[25 अगस्त, 1976]

भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों, महाद्वीप मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक
क्षेत्रों से संबंधित कुछ विषयों के लिए उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 है।

(2) इस अधिनियम की धारा 5 और 7 उस तारीख या उन विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त होंगी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में, भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों, महाद्वीपीय मग्न-तटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के सम्बन्ध में “सीमा” से, भारत की मुख्य भूमि और साथ ही भारत के राज्यक्षेत्र के भागरूप द्वीप या द्वीप-समुद्र्य या समुद्र्यों के प्रति निर्देश से ऐसे सागर-खण्डों, मग्नतटभूमि या क्षेत्र की सीमा अभिप्रेत है।

3. राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों पर प्रभुता और उनकी सीमाएं—(1) भारत की प्रभुता का विस्तार भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों तक (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड कहा गया है) और ऐसे सागर खण्डों के नीचे के समुद्रतल और अवमृदा तथा उनके ऊपर के आकाशी क्षेत्र तक है और सदा से रहा है।

(2) राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों की सीमा वह रेखा है जिसका प्रत्येक विन्दु समुचित आधार रेखा के समीपस्थि विन्दु से बाहर समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, जब कभी वह अन्तरराष्ट्रीय विधि और राज्य आचार को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन करने वाले संकल्प, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर दिए जाते।

4. विदेशी पोतों द्वारा राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों का उपयोग—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी विदेशीपोत (ऐसे पोतों को छोड़कर,) जिनके अन्तर्गत पनडुब्बी और अन्य अन्तर्जलीय यान भी हैं, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों में से निर्दोष गमन के अधिकार का उपभोग करेंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, गमन तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका भारत की शांति, सुव्यवस्था या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(2) विदेशी युद्धपोत, जिनके अन्तर्गत पनडुब्बी और अन्य अन्तर्जलीय यान भी हैं, केन्द्रीय सरकार को पूर्व सूचना देने के पश्चात्, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों में प्रवेश कर सकते हैं और उनमें से होकर जा सकते हैं:

परन्तु पनडुब्बी और अन्य अन्तर्राजीय यान ऐसे सागर-खण्डों की सतह पर नौचालन करेंगे और उनमें से होकर जाते समय अपने ध्वज दर्शित करेंगे।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना भारत या उसके किसी भाग की शांति, सुव्यवस्था या सुरक्षा के हित में आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चाहे आत्यन्तिक रूप से या ऐसे अपवादों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों के ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सभी या किसी वर्ग के विदेशी पोतों के प्रवेश को निलम्बित कर सकती है।

5. भारत का स्पर्शी क्षेत्र—(1) भारत के स्पर्शी क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्पर्शी क्षेत्र कहा गया है) राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों से परे और उनका पार्श्वस्थ क्षेत्र है और स्पर्शी क्षेत्र की सीमा वह रेखा है जिसका प्रत्येक बिन्दु, धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधार रेखा के समीपस्थ बिन्दु से चोबीस समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, जब कभी वह अन्तरराष्ट्रीय विधि और राज्य आचार को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्पर्शी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन करने वाले संकल्प, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर दिए जाते।

(4) केन्द्रीय सरकार स्पर्शी क्षेत्र में या उसके सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अध्युपाय कर सकती है जो वह निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, अर्थात् :—

(क) भारत की सुरक्षा, और

(ख) आप्रवासन, स्वच्छता, सीमा-शुल्क और अन्य राजस्व-सम्बन्धी विषय।

(5) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) भारत में या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त, और उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी विषय से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति का विस्तार स्पर्शी क्षेत्र पर ऐसे निर्बन्धनों और उपान्तरों सहित कर सकती है जो वह आवश्यक समझे, और

(ख) ऐसी अधिनियमिति के प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए ऐसी अधिसूचना में ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो वह आवश्यक समझे,

और इस प्रकार विस्तारित कोई अधिनियमिति ऐसे प्रभावी होगी मानो स्पर्शी क्षेत्र भारत के राज्यक्षेत्र का कोई भाग है।

6. महाद्वीपीय मग्नतटभूमि—(1) भारत की महाद्वीपीय मग्नतटभूमि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् महाद्वीपीय मग्नतटभूमि कहा गया है) समुद्री क्षेत्रों के समुद्रतल और अवमृदा समाविष्ट है जिनका विस्तार भारत के भूमि-राज्यक्षेत्र के सम्पूर्ण प्राकृतिक विस्तार में के उसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों की सीमा के परे महाद्वीपीय उपान्त के बाह्य किनारे तक या धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधार रेखा से दो सौ समुद्री मील की दूरी तक है किन्तु यह तब जब महाद्वीपीय उपान्त के बाह्य किनारे का विस्तार उस दूरी तक नहीं है।

(2) भारत को अपनी महाद्वीपीय मग्नतटभूमि के सम्बन्ध में पूर्ण और आत्यन्तिक प्रभुत्वसम्पन्न अधिकार है और सदा से थे।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले विना, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि में संघ को,—

(क) सभी सम्पदा की खोज, विदोहन, संरक्षण और प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए प्रभुत्वसम्पन्न अधिकार हैं;

(ख) कृत्रिम द्वीपों, तटवर्ती टर्मिनलों, प्रतिष्ठानपनों और अन्य संरचनाओं तथा युक्ति के सम्बन्धित, बनाए रखने या प्रचालने के लिए ऐसे अनन्य अधिकार और अधिकारिता हैं जो महाद्वीपीय मग्नतटभूमि की सम्पदा की खोज और विदोहन के लिए या पोतपरिवहन की सुविधा के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं;

(ग) वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्राधिकृत, विनियमित और नियन्त्रित करने के लिए अनन्य अधिकारिता है; और

(घ) समुद्री पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने और उसके नियन्त्रण के लिए अनन्य अधिकारिता है।

(4) कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत कोई विदेशी सरकार भी है) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई किसी अनुज्ञसि या प्राधिकार-पत्र के निर्बन्धनों के अधीन और उनके अनुसार ही, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि की खोज कर सकता है या उसकी सम्पदा का विदोहन कर कर सकता है या महाद्वीपीय मग्नतटभूमि के भीतर तलाश या उत्खनन कर सकता है या कोई अनुसंधान कर सकता है या उसमें ड्रिल कर सकता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उसमें किसी कृत्रिम द्वीप, तटवर्ती टर्मिनल, प्रतिष्ठापन या अन्य संरचना या युक्ति का सन्निर्माण कर सकता है, उसे बनाए रख सकता है या उसका प्रचालन कर सकता है, अन्यथा नहीं।

(5) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा :—

(क) महाद्वीपीय मग्नतटभूमि के और उसके उपरिस्थि सागर-खण्डों के किसी क्षेत्र को अभिहित क्षेत्र घोषित कर सकती है; और

(ख) निम्नलिखित के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकती है जो वह आवश्यक समझे, अर्थात् :—

(i) ऐसे अभिहित क्षेत्र के भीतर महाद्वीपीय मग्नतटभूमि की सम्पदा की खोज, विदोहन और संरक्षण ; या

(ii) ऐसे अभिहित क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों, तटवर्ती-टर्मिनलों, प्रतिष्ठापनों और अन्य संरचनाओं और युक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण; या

(iii) ऐसे अभिहित क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण का संरक्षण ; या

(iv) ऐसे अभिहित क्षेत्र के संबंध में सीमा-शुल्क और अन्य राजस्व-सम्बन्धी विषय।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना में नाव्य जलपथों, समुद्री पोत मार्गों, यातायात पृथक्करण स्कीमों या नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित, करने के किसी ऐसे अन्य ढंग की स्थापना करके जो भारत के हित के प्रतिकूल नहीं है विदेशी पोतों के अभिहित क्षेत्र में प्रवेश के और उसमें से होकर गमन के विनियमन के लिए उपबंध किया जा सकता है।

(6) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) भारत में या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति का विस्तार महाद्वीप मग्नतटभूमि या उसके किसी भाग पर (जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन कोई अभिहित क्षेत्र भी है) ऐसे निर्बन्धनों और उपान्तरों सहित कर सकती है जो वह ठीक समझे ; और

(ख) ऐसी अधिनियमिति के प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए उसमें ऐसे उपबंध कर सकती है जो वह आवश्यक समझे,

और इस प्रकार विस्तारित कोई अधिनियमिति ऐसे प्रभावी होगी मानो महाद्वीपीय मग्नतटभूमि या उसका ऐसा भाग (जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन कोई अभिहित क्षेत्र भी है) जिस पर उसका विस्तार किया गया है, भारत के राज्यक्षेत्र का कोई भाग है।

(7) उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना और किन्हीं ऐसे अध्युपायों के अधीन रहते हुए जो भारत के हित की संरक्षा के लिए आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार, विदेशी राज्यों द्वारा महाद्वीपीय मग्नतटभूमि पर समुद्री केबिल या पाइपलाइन विद्धाएं जाने में या उन्हें बनाए रखने में अड़चन नहीं डालेगी :

परन्तु ऐसे केबिल या पाइपलाइन के विद्धाएं जाने के लिए दिशा के निरूपण के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति आवश्यक होगी।

7. अनन्य आर्थिक क्षेत्र—(1) भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा गया है), राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों से परे का और उसका पार्श्वस्थ क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र की सीमा धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधार रेखा से दो सौ समुद्री मील है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, जब कभी वह अन्तरराष्ट्रीय विधि और राज्य आचार को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन करने वाले संकल्प, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर दिए जाते।

(4) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संघ को,—

(क) सजीव और निर्जीव प्राकृतिक सम्पदा की खोज, विदोहन, संरक्षण और प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए और साथ ही ज्वारभाटे, हवाओं और धाराओं से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रभुत्वसम्पन्न अधिकार हैं;

(ख) कृत्रिम द्वीपों, तटवर्ती टर्मिनलों, प्रतिष्ठापनों और अन्य संरचनाओं तथा युक्तियों के सन्निर्माण, बनाए रखने या प्रचालन के लिए ऐसी अनन्य अधिकारिता और अधिकार हैं जो उस क्षेत्र की सम्पदा की खोज और विदोहन के लिए या पोत-परिवहन की सुविधा के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं;

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथिकृत, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अनन्य अधिकारिता है;

(घ) समुद्री पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए अनन्य अधिकारिता है; और

(ङ) ऐसे अन्य अधिकार हैं जो अन्तरराष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यताप्राप्त हैं।

(5) कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत कोई विदेशी सरकार भी है) केन्द्रीय सरकार के साथ हुए किसी करार के या केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई किसी अनुज्ञासि या प्राथिकारपत्र के निर्बन्धनों के अधीन और उसके अनुसार ही, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की किसी सम्पदा की खोज कर सकता है या उसका विदोहन कर सकता है या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर तलाश या उत्खनन कर सकता है या कोई अनुसंधान कर सकता है या उसमें ड्रिल कर सकता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उसमें किसी कृत्रिम द्वीप, तटवर्ती टर्मिनल, प्रतिष्ठापन या अन्य संरचना या युक्ति का सन्निर्माण कर सकता है, उसे बनाए रख सकता है या उसका प्रचालन कर सकता है, अन्यथा नहीं:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात भारत के किसी नागरिक द्वारा मछली पकड़े जाने के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) अनन्य आर्थिक क्षेत्र के किसी क्षेत्र को अभिहित क्षेत्र घोषित कर सकती है; और

(ख) निम्नलिखित के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकती है जो वह आवश्यक समझे, अर्थात् :—

(i) ऐसे अभिहित क्षेत्र की सम्पदा की खोज, विदोहन और संरक्षण ; या

(ii) ऐसे अभिहित क्षेत्र के आर्थिक विदोहन और खोज के लिए अन्य क्रियाकलाप, जैसे ज्वारभाटे, हवाओं और धाराओं से ऊर्जा का उत्पादन; या

(iii) ऐसे अभिहित क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों, तटवर्ती टर्मिनलों, प्रतिष्ठापनों और अन्य संरचनाओं और युक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण; या

(iv) ऐसे अभिहित क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण का संरक्षण; या

(v) ऐसे अभिहित क्षेत्र के संबंध में सीमा-शुल्क और राजस्व-सम्बन्धी अन्य विषय।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना में नाव्य जलपथों, समुद्री पोत मार्गों, यातायात पृथक्करण स्कीमों या नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के किसी ऐसे अन्य ढंग की स्थापना करके जो भारत के हित के प्रतिकूल नहीं है, विदेशी पोतों के अभिहित क्षेत्र में प्रवेश के और उसमें से होकर गमन के विनियमन के लिए उपबंध किया जा सकता है।

(7) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) भारत में या उसके किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति का विस्तार अनन्य आर्थिक क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे निर्बन्धनों और उपान्तरों सहित कर सकती है जो वह ठीक समझे ; और

(ख) ऐसी अधिनियमिति के प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए उसमें ऐसे उपबंध कर सकती है जो वह आवश्यक समझे,

और इस प्रकार विस्तारित कोई अधिनियमिति ऐसे प्रभावी होगी मानो अनन्य आर्थिक क्षेत्र या उसका ऐसा भाग जिस पर उसका विस्तार किया गया है, भारत के राज्यक्षेत्र का कोई भाग है।

(8) धारा 6 की उपधारा (7) के उपबंध अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समुद्रतल पर समुद्री केविल या पाइपलाइन बिछाए जाने के या उन्हें बनाए रखने के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे महाद्वीपीय मग्नेटभूमि के समुद्रतल पर समुद्री केविल या पाइपलाइन बिछाए जाने या उन्हें बनाए रखने के संबंध में लागू होते हैं।

(9) अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उस क्षेत्र पर आकाशी क्षेत्र में सभी राज्यों के पोत और वायुयान, उस क्षेत्र के भीतर भारत के अधिकारों के प्रयोग के अधीन रहते हुए, नौवहन और आकाशी उड़ान की स्वतन्त्रता का उपयोग करेंगे।

8. पारम्परिक सागर-खण्ड—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपने भूमि-राज्यक्षेत्र के पार्श्वस्थ ऐसे सागर-खण्डों की सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जो भारत के पारम्परिक सागर-खण्ड हैं।

(2) भारत की प्रभुता का विस्तार, भारत के पारम्परिक सागर-खण्डों तक और ऐसे सागर-खण्डों के नीचे के समुद्रतल और अवमृदा तथा उनके ऊपर के आकाशी क्षेत्र तक है और सदा से रहा है।

9. भारत और ऐसे विदेशी राज्यों के बीच सामुद्रिक सीमाएं जिनके समुद्रतट भारत के समुद्र तटों के सम्मुख या पार्श्वस्थ हैं—

(1) भारत और किसी ऐसे विदेशी राज्यों के बीच, जिनका समुद्र तट भारत के समुद्रतट के सम्मुख या पार्श्वस्थ है, सामुद्रिक सीमाएं उनके अपने-अपने राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों, स्पर्शी क्षेत्रों, महाद्वीपीय मग्नेटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्रों और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों के संबंध में वे होंगी जो भारत और ऐसे विदेशी राज्य के बीच करार द्वारा अवधारित की जाएं (चाहे ऐसा करार इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व था उसके पश्चात् किया जाए) तथा भारत और किसी ऐसे विदेशी राज्य के बीच ऐसे करार के लम्बित रहने के दौरान, और जब तक किन्हीं अन्य अनन्तिम ठहरावों के बारे में उनके बीच सहमति नहीं होती है, भारत और ऐसे विदेशी राज्य की सामुद्रिक सीमाओं का विस्तार उस रेखा के परे नहीं होगा जिसका प्रत्येक बिन्दु ऐसे समीपस्थ बिन्दु से समान दूरी पर स्थित है जहां से भारत के और ऐसे विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों की दूरी नापी जाती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक करार, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

10. चार्टों का प्रकाशन—केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधार रेखा को, भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, स्पर्शीक्षेत्र, महाद्वीपीय मग्नेटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और पारम्परिक सागर-खण्ड की सीमाओं को तथा धारा 9 में निर्दिष्ट करारों द्वारा तय की गई सामुद्रिक सीमाओं को चार्टों में प्रकाशित कर सकती है।

11. अपराध—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या इसके अधीन किसी अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह (किसी अन्य ऐसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के या किसी अन्य अधिनियमिति के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाए), कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

12. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह सावित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता वरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह सावित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

13. विचारण का स्थान—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन या इस अधिनियम के अधीन विस्तारित अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति का उस अपराध के लिए विचारण, किसी ऐसे स्थान में जिसमें वह पाया जाए या किसी ऐसे अन्य स्थान में, किया जा सकता है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

14. अभियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन, केन्द्रीय सरकार की या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

15. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वागमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, स्पर्शी क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्नट-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के आचरण का विनियमन;

(ख) महाद्वीपीय मग्नट-भूमिकी सम्पदा की खोज और उसके विदोहन, संरक्षण और प्रबंध का विनियमन;

(ग) अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सम्पदा की खोज, उसके विदोहन, संरक्षण और प्रबंध का विनियमन;

(घ) धारा 6 और धारा 7 में निर्दिष्ट कृत्रिम द्वीपों, तटवर्ती टर्मिनलों, प्रतिष्ठापनों और अन्य संरचनाओं और युक्तियों के सन्निर्माण, उन्हें बनाए रखने और उनके प्रचालन का विनियमन;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण तथा समुद्री प्रदूषण को रोकना और उस पर नियंत्रण;

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन का प्राधिकरण, विनियमन और नियंत्रण;

(छ) धारा 6 की उपधारा (4) और धारा 7 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अनुज्ञितियों और प्राधिकार-पत्रों के संबंध में या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए फीस; या

(ज) खण्ड (क) से खण्ड (छ) तक में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय का आनुपंगिक कोई विषय।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय, केन्द्रीय सरकार यह उपबंध कर सकती है कि उसका कोई उल्लंघन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो किसी भी रकम तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 6 की उपधारा (5) या धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा या रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा या हो जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाल्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. कठिनाइयों का दूर किया जाना—(1) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन विस्तारित अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो, यथास्थिति, इस अधिनियम के या ऐसी अधिनियमिति के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश,—

(क) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई की दशा में, ऐसे उपबन्ध के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन विस्तारित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई की दशा में, ऐसी अधिनियमिति के विस्तारण से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
